

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-170/2018 10/13

/पटना, दिनांक - 4.9.2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (सामान्य)-लघु शीर्ष-103 - ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0113, अनुसूचित जाति-लघु शीर्ष-789 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0104 एवं अनुसूचित जनजाति-लघु शीर्ष-796 ग्राम विकास राज्य योजना उप शीर्ष-0109 मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ-09 में अंकित राशि की पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (सामान्य) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल के अधीन कुल-03 (तीन) योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ-09 में अंकित राशि की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है :-

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of SSCN	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pakaridayal	Madhuban	Gen.	Madhuban Prakhhand Antergat Rupani Panachayat ke Inarwa Gaon ke Mahadalit Basti me Path Nirman Kary		2.315	2130	175.010
2	Pakaridayal	Fhenhara	Gen.	Fhenhara Prakhhand Antergat Rupaulia Panchayat ke Kumharar Gaon ke Mahadalit Basti me Path Nirman Kary		2.025	1450	169.540
3	Pakaridayal	Fhenhara	Gen.	Fhenhara Prakhhand Antergat Rupaulia Panchayat ke Phulwaria Gaon ke Mahadalit Basti me Path Nirman Kary		1.665	2350	162.180
			Total			6.005		506.730

2. विभागीय सचिव द्वारा निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

- (क) इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात् वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- (ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल योजनाओं के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ग) स्वीकृत योजनाओं की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।



4/9/2020

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

(ङ) इस योजना के पंचवर्षीय रख-रखाव की राशि 3054 मद से भारित किया जाएगा।

3. कार्य ई-निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-MMGSY-170/2018 के पृष्ठ-09/टि0 पर प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- BRRDA(HQ)-MMGSY-170/18 के पृष्ठ-14/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद् की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।

(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम-4-53/2007-3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

(घ) यह राशि उसी मद् में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद् में नहीं।

(ङ.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-MMGSY-170/18 पृष्ठ संख्या-...18/टि0 पर दिनांक 3.9.2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

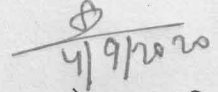
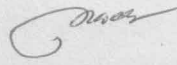
4/9/2020

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: BRRDA(HQ)-MMGSY-170/18 1013

/पटना, दिनांक - 4.9.2020

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मोतिहारी/उपविकास आयुक्त, मोतिहारी/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3, पटना/मुख्य अभियंता-4/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, पकड़ीदयाल/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव